(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 94 | नई दिल्ली, 05 मई 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास के कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की लेवी और अन्य प्रभारों के स्थान पर ऑन–बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर के निर्धारण के लिए कांडला पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/37/2007–केपीटी

कांडला पत्तन न्यास ------ **आवेदक**

आदेश

(मार्च, 2011 के 25वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास से उसके कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की लेवी और अन्य प्रभारों के स्थान पर ऑन–बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर के निर्धारण के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. केपीटी ने पत्र दिनांक 18 जून 2007 के अधीन अपने कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की लेवी और अन्य प्रभारों के स्थान पर ऑन–बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर के निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

2.2. केपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया हैः

(i). केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2007 द्वारा कांडला डॉक लेबर बोर्ड (केडीएलबी) को कांडला पत्तन न्यास में आमेलित कर दिया था।

(ii). आमेलन की वजह से यह जरूरी है कि डॉक कर्मियों द्वारा ऑन–बोर्ड की गई स्टीवडोर्डिंग गतिविधि के लिए दरें निर्धारित की जाएं।

(iii). इसी बीच केडीएलबी सामान्य लेवी, कल्याण लेवी, पीस दर आदि, जो वास्तविक लागत पर आधारित हैं, के रूप में विभिन्न लेवियां वसूल करते हुए राजस्व अर्जित करने के लिए प्रयुक्त किया है। 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसम्बर 2006 तक नौ महीनों की अवधि के दौरान उपयोक्ताओं से वसूल की गई विभिन्न लेवियों के आधार पर, बिना पीस दर के रु0 850/– प्रति कामगार प्रति पारी की दर से और पीस दर के साथ रु0 1084/– प्रति कामगार प्रति पारी की दर से समेकित दर निर्धारित की गई है।

(iv). जब कभी अधिसूचित दरमान में सेवा के लिए विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो, प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंडों 2.17.1 से 2.17.3 के अनुसार, पत्तन तदर्थ दर वसूल कर सकता है यदि पत्तन और संबद्ध उपयोक्ताओं द्वारा परस्पर सहमति हो और साथ के साथ इस प्राधिकरण के विचार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आलोक में, मार्च 2007 में पत्तन उपयोक्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जहां उन्होंने दरों की गणना में केपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति पर सहमति प्रकट की थी।

(v). केपीटी के बोर्ड ने बिना पीस दर के रु0 850/– प्रति कामगार प्रति पारी और पीस दर के साथ रु0 1084/– प्रति कामगार की अस्थायी लेवी के लिए मंजूरी प्रदान की है।

3. केपीटी ने पत्र दिनांक 23 जुलाई 2007 द्वारा सूचित किया था कि पत्तन द्वारा की गई तदर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है और दर इस प्राधिकरण के अंतिम अनुमोदन के अधीन है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। उनकी टिप्पणियां, जैसे और जब प्राप्त हुईं, केपीटी को अभियुक्तियों के लिए अग्रेषित की गई थीं। केपीटी ने उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

5. 14 नवम्बर 2007 को केपीटी ने बिना पीस दर के रु0 1195 और पीस दर के साथ रु0 1440 की दर से प्रति कामगार प्रति पारी लागत दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया था। विवरण तैयार करते समय पत्तन द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया था:

(i) वर्ष 2006–07 के लिए वास्तविक लागत।

(ii) 1 जनवरी 2007 से अवलंबित मजदूरी संशोधन के लिए वेतनों और मजदूरियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि।

(iii) वेतनवृद्धि, डी.ए. में वृद्धि आदि के लिए वेतन और मजदूरियों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि।

केपीटी ने बिना पीस दर के रु0 1195 और पीस दर के साथ रु0 1440 की दरों पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का सुझाव भी दिया था।

6. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, केपीटी से हमारे पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2007 द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नलिखित सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। हमारे पत्र में मांगी गई सूचना और पत्र दिनांक 6 जून 2008 के अधीन केपीटी से प्राप्त जवाब नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	टीएएमपी द्वारा उठाए गए प्रश्न	केपीटी द्वारा प्रेषित जवाब
1	यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि प्रति टन आधार पर लेबर की आपूर्ति के लिए प्रभारों की वसूली से लेखांकन आसान होगा और लागत की वसूली में बेहतर पारदर्शिता आएगी। इस पद्धति के के अंगीकरण से उनके कार्गों के आवागमन की समग्र लागत के मूल्यांकन के लिए आयातकों/निर्यातकों को आसानी होगी। इससे दूसरे घटक द्वारा एक घटक की प्रहस्तन लागत के प्रति सहायिकीकरण से भी बचाव होगा। इसलिए, केपीटी को यह सलाह दी जाती है कि बेहतर उत्पादकता अर्जित करने और परिचालन की समग्र लागत को कम करने के लिए नौभरिकों को कार्गो–वार प्रोत्साहन प्रस्तावित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। उत्पादकता स्तरों से संबंधित कार्गो–वार प्रति टन दर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, केपीटी से अनुरोध है कि प्रति टन घटक–वार दरों में मुरूगांव डॉक लेबर बोर्ड की लेवी की वसूली पर इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश सं. टीएएमपी/36/2001–एमओपीटी दिनांक 13 जुलाई 2001 और उसके अनुलग्नक का अवलोकन करें।	घटक–वार दर प्रति टन परिगणित और प्रस्तुत की गई है।
2	कृपया बताएं कि क्या (i) विभिन्न घटकों और परिचालनों के लिए मैनिंग मान और (ii) प्रति कामगार प्रति पारी की वसूली की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर समेकित प्रति टन दर की शुरूआत के बारे में केडीएलबी के केपीटी में आमेलन की योजना के बारे में कोई शर्त बताई गई है।	मैनिंग मानों के संबंध में केपीटी के साथ हुए केडीएलबी के आमेलन के लिए योजना में विशिष्ट शर्त के बारे में बताया गया है। केडीएलबी पंजीकृत पूल वर्करों और केपीटी के तट वर्करों की मौजूदा प्रणाली वर्तमान की तरह जारी रहेगी। तथापि, समेकित तैनाती प्रक्रिया वर्तमान योजना और राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय के प्रावधानों के अनुसार होगी। निपटान की शर्तों के अनुसार, लेवी की मौजूदा दरों के स्थान पर लचीलापन तथा वित्तीय समायोजन सुनिश्चित करने के लिए, नमक और अन्य घटकों के लिए नई समेकित दर प्रति टन निर्धारित की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
3	कृपया इस बात का निर्धारण करें और इस प्राधिकरण को सूचित करें कि क्या कांडला में लादे गए/उतारे गए कार्गो के टनभार के आधार पर अथवा वर्कर प्रति पारी के आधार पर ऑन–बोर्ड कार्य के लिए उनके द्वारा विनियुक्त नौभरकों को शिपिंग लाइनों द्वारा अदायगी की जाती है।	केपीटी के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
4.	केडीएलबी के आमेलन से पहले मौजूद दरों और राजस्व विवीक्षा के साथ प्रस्तावित की जा रही दरों को दर्शाते हुए विश्लेषण प्रस्तुत करें।	आमेलन से पहले मौजूद दरें और प्रस्तावित की जा रही दरें प्रस्तुत की गई हैं। विश्लेषण दर्शाता है कि प्रस्तावित अस्थायी दरें आमेलन–पूर्व दरों की अपेक्षा बहुत कम हैं और इसलिए संशोधन की मांग की गई है।
5	वर्तमान में प्रति हुक/प्रति गैंग विनियुक्त ऑन बोर्ड कामगारों का गठन दर्शाएं।	वर्तमान में विनियुक्त प्रति हुक/प्रति गैंग ऑन बोर्ड कामगारों का गठन निम्नलिखित है:

		''एक गैंग प्रति एक हुक, नमक बल्क (निर्यात) केवल के सिवाय 12 व्यक्तियों/कामगारों के प्रत्येक गैंग के प्रकार पर ध्यान दिए बिना। आर.पी. टिंडल अथवा आर.पी. सिग्नलेर के साथ प्रति हुक चार कामगार नमक बल्क (निर्यात) में तैनात किए गए हैं।''
6	पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभार से संबंधित वार्षिक लेखें भेजें।	पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए हैं। (हालांकि केपीटी ने ऐसा सूचित किया था, परन्तु वास्तव में वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।)
7	आमेलन की तारीख को केडीएलबी की सामान्य आरक्षित निधि में जमा शेष भेजें। यह भी सूचित करें कि इस जमा शेष को कैसे उपयोग किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।	आमेलन की तारीख को केडीएलबी की सामान्य लेवी आरक्षण निधि में जमा शेष रु0 1,46,18,766/– है। जमा शेष कांडला पत्तन न्यास के सामान्य आरक्षणों में अंतरित किया गया है और केपीटी द्वारा अनुसरित प्रक्रिया/पद्धति के अनुसार उपयोग किया जाना है। ऐसी आरक्षित निधि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 88 के अधीन उपयोग की जा रही है।
8	मैनिंग मानों पर राष्ट्रीय अधिकरण का निर्णय पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। केपीटी से अनुरोध है कि उसपर की गई कार्रवाई और उससे अर्जित उत्पादकता में सुधारों, यदि कोई हों, के बारे में बताएं।	गैंग का गठन और संख्या केवल सरकार के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार मैनिंग मान अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं।
9	चूंकि अनुमोदित की जाने वाली दर की वैधता 3 वर्ष होगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि केपीटी प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए उन वर्षों के लिए अनुमानित कार्गो थ्रुपुट की मात्रा के आधार पर अगले 3 वर्षों के लिए कार्गो–वार दर प्रति टन प्रस्तावित करे।	औसत आउटपुट प्रति गैंग पारी विभिन्न घटकों में भिन्न–भिन्न है और इसलिए लागत को भी खंडित करने के लिए यह जरूरी है कि आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग प्रत्येक घटक के लिए न्यूनतम टनभार बनाए रखा जाए। विशिष्ट रूप से चिह्नित नहीं किए गए घटकों को ''अन्यों' रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त लाइनों पर विवरण प्रस्तुत किया गया है।
10	1 अप्रैल 2006 से 31 दिसम्बर 2006 अवधि के ब्योरों के आधार पर, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 जून 2007 के अधीन दो विवरण प्रस्तुत किए थे, एक पीस दर के बिना प्रति कामगार प्रति पारी लागत दर्शाता हुआ और दूसरा पीस दर के लिए प्रति कामगार प्रति पारी लागत दर्शाते हुए। पूर्व विवरण जिसमें समय दर संबंधी भुगतान, सामान्य लेवी, कल्याण लेवी, प्रोत्साहन, एचआरए, पीएलआर और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। बाद वाले विवरण में 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसम्बर 2006 के दौरान किया गया कुल पीस दर भुगतान और पीस दर के साथ तैनात जन–पारी शामिल हैं। एफए एंड सीएओ, केपीटी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. एफए/लागत/1021/497 दिनांक 20 जून 2007 से, यह प्रकट होता है कि रु0 850/– और 1084/– की तदर्थ दरें 23 मई 2007 से वसूल की जा रही हैं। विवरण जिसमें केपीटी का पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2007 दिया गया है, प्रकट करता है कि कैसे लागत प्रति कामगार प्रति पारी वर्ष 2006–07 के लिए ब्योरों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस विवरण में शामिल व्यय के तत्व कल्याण व्यय, हाऊसिंग व्यय, एफएसएस, उपदान, पेंशन और सामान्य हैं। चूंकि जून 2007 में प्रस्तुत किए गए विवरण में सुविचारित व्यय के घटक वर्तमान में प्रेषित विवरण के संदर्भ में भिन्न हैं, इसलिए केपीटी से अनुरोध है कि उसका कारण स्पष्ट करें।	केवल जून 2007 में प्रस्तुत किए गए पूर्ववर्ती विवरण में वसूलियां नौभरिकों से वसूल की गई है को लिया गया है जबकि पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2007 के अधीन प्रस्तुत किए गए विवरण में सभी व्ययों को लेखा में लिया गया है।

11	जून, 2007 में प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार, 9 महीनों के लिए कुल व्यय रु0 18.94 करोड़ है। अधुनातन विवरण के अनुसार 2006–07 के पूरे वर्ष के लिए कुल व्यय रु0 30.81 करोड़ है। दिसम्बर 2006 के बाद प्रति माह व्यय में भारी ऊध्वर्मुखी भिन्नता कृपया स्पष्ट करें।	जून, 2007 के प्रस्ताव में, व्यय नौभरिकों से की गई वसूलियों पर आधारित था जबकि नवम्बर 2007 में टीएएमपी को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव लागत आधारि है। पहले वाले प्रस्ताव में पेंशन और उपदान जैसे व्यय शामिल नहीं थे जिन्हें संशोधित प्रस्ताव में सुविचारित किया गया है।
12	अप्रैल 2007 से अक्तूबर 2007 अवधि से संबंधित इस तरह के ब्योरे कृपया भेजें।	मांगी गई सूचना प्रस्तुत की गई।
13	केपीटी ने वेतनवृद्धि, डी.ए. आदि की वजह से कर्मचारियों के वेतन और मजदूरियों के बारे में प्रस्तावित दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि परिकल्पित की है। इस संबंध में संदर्भ संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.5.1 में दिया गया है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि व्यय अनुमान डब्ल्यूबीआई के मौजूदा संचलन के संदर्भ में मूल्य उतार–चढ़ाव के लिए समायोजित यातायात के अनुसार होने चाहिएं। वर्ष 2007–08 के लिए लागू वृद्धि की दर 5.4 प्रतिशत वार्षिक है।	प्रशुल्क दिशानिर्देशों में पत्तन के कुल व्यय को समायोजित करने के लिए कहा गया है जिसमें वेतन सहित लागत के विभिन्न तत्व शामिल हैं। ये तत्व अपने (एक ओर उच्चतर से अन्य में निम्नतर से प्रति–सहायक हो सकता है) से प्रति–सहायिकी प्राप्त करते हैं। तथापि, चूंकि वर्तमान प्रस्ताव लागत के तत्व और उपदान, पेंशन आदि रूप में केवल वेतन और मजदूरी पर विचार करता है, जो वेतन पर आधारित हैं, 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि औचित्यपरक है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, यह बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन में वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत है।
14	1 जनवरी 2007 से मजदूरी संशोधन संबंधी वेतनों और मजदूरी में 15 प्रतिशत की वृद्धि को समझा जा सकता है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कल्याण, एफएसएस, उपदान, पेंशन और सामान्य जैसी लागत के सभी तत्वों पर 15 प्रतिशत की वृद्धि क्यों स्वीकार की जाए।	उपदान, पेंशन आदि वेतन तथा मजदूरियों पर परिकलित किए गए हैं, इसलिए 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि पर विचार किया गया है।
15	कृपया स्पष्ट करें कि कल्याण, एफएसएस, उपदान, पेंशन तथा सामान्य जैसे व्यय वास्तव में किए गए खर्च हैं और कल्पित लागत पर आधारित नहीं हैं। यदि इन व्ययों को लागत विवरण की तैयारी के प्रयोजन के लिए ''विपथित'' किया जाता है तो कृपया वह आधार स्पष्ट करें जिसपर वे प्रभाजित किए गए हैं।	क्ल्याण, एफएसएस, उपदान, पेंशन और सामान्य के व्यय वास्तविक व्यय हैं और कल्पित व्यय नहीं हैं तथा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार हैं।
16	कृपया बताएं कि क्या मौजूदा स्थापना में कोई अधिशेष लेबर मौजूद है और क्या अधिक लेबर की आदर्शस्थिति, यदि कोई हो, पर आरोप्य व्यय लागत विवरण में शामिल किए गए हैं।	वर्तमान में कोई अधिशेष लेबर नहीं है और मांग आपूर्ति से अधिक है।
17	पीस दर के मामले में, कृपया दर्शाएं कि डैटम आखिरी बार कब संशोधित किया गया था। पीस दर योजना को युक्तिसंगत बनाने के लिए केपीटी द्वारा किए गए उपायों, यदि कोई हों, के बारे में बताएं।	डैटम योजना के कार्यान्वयन अर्थात 1 सितम्बर 1979 से संशोधित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय का क्रियान्वयन सरकार से प्रतीक्षित है।
18	प्रति वर्कर प्रति पारी देय पीस दर 2006–07 के दौरान भुगतान की गई पीस दर और इसे विनियुक्त पीस दर पारियों से विभाजित करते हुए जोड़ने के बाद केपीटी द्वारा निर्धारित की गई है। चूंकि पीस दर का भुगतान निर्धारित कार्गो–वार डैटम से अंर्तसंबंधित है, इसलिए पीस दर के साथ प्रति वर्कर प्रति पारी एकल दर निर्धारित करना सही नहीं	अब प्रस्तावित दरें घटक वार प्रति टन आधार पर प्रस्तावित की गई हैं जो उपर्युक्त प्रश्न का ध्यान रखता है अर्थात पीस दर के साथ और उसके बिना न्यूनतम आउटपुट प्रति गैंग पारी के साथ आयात और निर्यात कार्गो के लिए अलग–अलग प्रस्तावित किए गए हैं।

<table>
<tr><td></td><td>होगा। यदि केपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित एकल दर मौजूदा आंकड़े पर निर्धारित की जाती है तो रियायत अथवा छूट देने के लिए कार्यपद्धति होनी चाहिए जब निष्पादन डैटम से अधिक होता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>कृपया बताएं कि क्या केपीटी के साथ केडीएलबी का आमेलन और पत्तन द्वारा नौभरण गतिविधि के लिए ऑन–बोर्ड लेबर की आपूर्ति से पत्तन की अन्य गतिविधियों द्वारा कोई प्रति–सहायिकी दी जाएगी।</td><td>पत्तन की अन्य गतिविधियों द्वारा कोई प्रति–सहायिकीकरण नहीं किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>केपीटी के साथ केडीएलबी के आमेलन के बाद अर्जित उत्पादकता (प्रहस्तन की लागत में कटौती), यदि कोई हो, में सुधार के बारे में बताएं।</td><td>आमेलन के बाद देखे गए उत्पादकता में सुधार और औसत गैंग आउटपुट और प्रहस्तन की लागत के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रहस्तित कार्गो नीचे दिया गया है:–
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="3">प्रहस्तित कार्गो (लाख टनों में)</th><th>औसत गैंग आउटपुट</th><th>प्रहस्तित पोत</th><th>प्रहस्तन की लागत प्रति टन</th></tr>
<tr><th>निर्यात</th><th>आयात</th><th>कुल</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>2003-04</td><td>88.35</td><td>37.88</td><td>126.23</td><td>600</td><td>1253</td><td>15.41</td></tr>
<tr><td>2004-05</td><td>78.43</td><td>46.89</td><td>125.32</td><td>581</td><td>1149</td><td>16.39</td></tr>
<tr><td>2005-06</td><td>86.82</td><td>65.40</td><td>152.22</td><td>641</td><td>1271</td><td>19.35</td></tr>
<tr><td>2006-07 (23.01.07 तक)</td><td>70.19</td><td>67.00</td><td>137.19</td><td>675</td><td>1087</td><td>20.15</td></tr>
<tr><td>(24.1.2007 से अगस्त 2007)</td><td>60.58</td><td>52.50</td><td>113.08</td><td>763</td><td>926</td><td>19.75</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>21</td><td>संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.3 के अनुसार, तटीय/कार्गो कंटेनरों के लिए रियायती प्रशुल्क उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।</td><td>यह तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए बिना किसी रियायती प्रशुल्क के नौभरण कार्य के लिए लेबर आपूर्ति गतिविधि है।</td></tr>
</table>

7. चूंकि केपीटी का प्रस्ताव दिनांक 6 जून 2008 इसके पूर्ववर्ती प्रस्ताव दिनांक 18 जून 2007 (प्रति वर्कर प्रति पारी आधार वसूली से प्रति टन आधार वसूली तक) से काफी भिन्न है, इसलिए केपीटी का संशोधित प्रस्ताव 11 अगस्त 2008 को उपयोक्ता संगठनों के बीच टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। केवल इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड और कांडला पोर्ट ट्रस्ट स्टीवडोर्स असोसिएशन ने प्रत्युत्तर दिया था। उनकी टिप्पणियां केपीटी को भेजी गई थीं और पत्तन ने उसपर अपनी अभ्युक्तियां दी थीं।

8. पत्र दिनांक 29 जुलाई 2008 द्वारा, केपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। केपीटी ने पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2008 द्वारा अपना जवाब भेजा था। मांगी गई और प्राप्त हुई सूचना/स्पष्टीकरण के ब्योरे नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

क्र.सं.	टीएएमपी द्वारा उठाए गए प्रश्न	केपीटी द्वारा प्रेषित जवाब
1	यह निर्धारित करने और इस प्राधिकरण को सूचित करने के अनुरोध पर कि क्या कांडला में शिपिंग लाइन लादे गए/खाली किए गए कार्गो के टनभार पर निर्भर करते हुए इकाई दर आधार पर ऑन–बोर्ड कार्य के लिए उनके द्वारा विनियुक्त नौभरिकों को भुगतान किया जाता है अथवा वर्कर प्रति पारी के आधार पर भुगतान किया जाता है, केपीटी ने जवाब दिया था कि ब्योरे/आंकड़े उसके पास उपलब्ध नहीं हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि केपीटी ने शिपिंग लाइनों से ब्योरे लेने की कोशिश की थी या नहीं। कृपया स्पष्ट करें।	शिपिंग लाइनों से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि नौभरिक इकाई दर आधार पर ऑन बोर्ड कार्य के लिए विनियुक्त किए जाते हैं।
2	हालांकि केपीटी ने बताया है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए कार्गो प्रहस्तन डिवीजन से संबंधित वार्षिक लेखे संलग्न किए गए हैं, परन्तु	पिछले दो वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखे संलग्न किए गए हैं। (हालांकि बताया गया है कि वार्षिक लेखें अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।)

	हमें वे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। कृपया उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	
3	केपीटी ने बताया है कि राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार मैनिंग प्रतिमानक अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। कृपया इस मामले पर वर्तमान स्थिति संप्रेषित करें।	मैनिंग प्रतिमानकों पर राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय के लिए निर्देश/संप्रेषण पोत परिवहन मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुए थे।
4	केपीटी ने बताया है कि चूंकि औसत आउटपुट प्रति गैंग पारी विभिन्न घटकों में भिन्न–भिन्न है, इसलिए आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग प्रत्येक घटक के लिए न्यूनतम टनभार को बनाए रखने के लिए लागत को भी खंडित करना जरूरी है। प्रहस्तित की जाने वाले न्यूनतम टनभार को निर्धारित करने का आधार, आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग, कृपया स्पष्ट करें। केपीटी का सामान्य दर संशोधन प्रस्ताव का निपटान करते समय, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2002 में आयात और निर्यात के बीच बिना भेदभाव किए प्रत्येक कार्गो के लिए 'घाटशुल्क की दर' निर्धारित की है। केपीटी से अनुरोध है कि वह दरों को गुणा करने और प्रहस्तित किए जाने वाले न्यूनतम टनभार की बजाय प्रति टन प्रति घटक एकल दर वाले की साध्यता की जांच करें।	आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग प्रहस्तित किया जाने वाला न्यूनतम टनभार पूर्ववर्ती अवधि की औसत आउटपुट प्रति गैंग/पारी के आधार पर निर्धारित किया गया है। (वास्तविक आंकड़े 2006–07 पर आधारित हैं) यह साध्य नहीं है कि सभी घटकों के लिए एकल दर प्रति टन हो क्योंकि औसत आउटपुट प्रति प्रहस्तन उपस्कर, पीस दर भुगतान और लेबर की तैनाती घटक से घटक भिन्न–भिन्न हैं।
5	औसत आउटपुट प्रति गैंग के आधार पर, केपीटी ने पीस दर के साथ और उसके बिना प्रति टन दर प्रस्तावित करते समय प्रत्येक घटक के न्यूनतम आउटपुट के लिए दर्शाया है। पूर्व अनुभव के आधार पर, केपीटी से यह दर्शाने का अनुरोध है कि न्यूनतम आउटपुट के आधार पर उपयोक्ताओं को बिल देने के लिए कितने मौके/मामले जरूरी होंगे।	न्यूनतम आउटपुट के आधार पर उपयोक्ताओं को बिल देने के लिए कोई अवसर/मामले नहीं थे। भविष्य में, यदि ऐसा होता है, तो बिल न्यूनतम आउटपुट के आधार पर दिए जाएंगे।
6	लागत विवरण में शामिल व्यय के तत्व कल्याण व्यय, हाऊसिंग व्यय, परिवार सुरक्षा निधि, उपदान, पेंशन और सामान्य हैं। केपीटी से यह पुष्टि करने का अनुरोध है कि ये व्यय ऑन–बोर्ड कामगारों से संबंधित सीधे वास्तविक आधार पर हैं और किसी प्रभाजन के द्वारा विपथित नहीं किए गए हैं।	यह पुष्टि की गई है कि लागत विवरण में शामिल व्यय अर्थात कल्याण व्यय, हाऊसिंग व्यय, उपदान, पेंशन और सामान्य वास्तव में ऑन–बोर्ड वर्करों से सीधे संबंधित लेखापरीक्षित व्यय हैं और किसी प्रभाजन द्वारा विपथित नहीं किए गए हैं।
7	यह दोहराया गया है कि ऑन–बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए तटीय रियायत उपलब्ध करवाने हेतु यह जरूरी है। ऐसी रियायत एमबीपीटी और विजाग सीपोर्ट लिमिटेड के दरमान में भी विस्तारित की गई है।	रियायती प्रशुल्क तटीय कार्गो के लिए दिया गया है।
8	केपीटी से ऑन–बोर्ड लेबर के लिए प्रस्तावित दर हेतु मसौदा दरमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्रस्तावित मसौदा दरमान केपीटी द्वारा नहीं भेजा गया है। कृपया अनुपालन करें।	प्रस्तावित मसौदा दरमान भेजा गया है।

9. पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2008 द्वारा, केपीटी से कुछ और ब्योरे/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। 6 मार्च 2009 को केपीटी ने अपना जवाब भेजा था। मांगे गए ब्योरे और प्राप्त हुए जवाब नीचे दिए गए हैं:–

क्र.सं.	टीएएमपी द्वारा उठाए गए प्रश्न	केपीटी द्वारा प्रेषित जवाब
1	विवरण की प्रति जो केपीटी के पत्र दिनांक 24 अक्तूबर 2008 के साथ संलग्न बताई गई थी, प्राप्त नहीं हुई है। कृपया एक प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें।	निपटान की प्रति भेजी गई है।
2	पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक लेखों की प्रतियां हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। कृपया इन प्रतियों की भिजवाने की व्यवस्था करें।	पिछले दो वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों की प्रतियां भेजी गई हैं।
3	केपीटी से हमारे पत्र दिनांक 29 जुलाई 2008 द्वारा, आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग, प्रहस्तित किए जाने वाले न्यूनतम टनभार को निर्धारित करने का आधार स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। जवाब में, केपीटी ने बताया था कि प्रहस्तित किया जाने वाला न्यूनतम टनभार, आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग, 2006–07 के औसत आउटपुट प्रति गैंग/पारी के आधार पर निर्धारित किया गया है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि केपीटी सूचीबद्ध 57 मदों के मामले में प्रहस्तित किया जाने वाला न्यूनतम आउटपुट पर कैसे पहुंचा था। केपीटी से अनुरोध है कि वे गणना पत्रक भेजें जो उस आधार को प्रकट करेंगे जिसपर सभी सूचीबद्ध घटकों के मामले में न्यूनतम आउटपुट निर्धारित किया गया है।	न्यूनतम आउटपुट की गणना दर्शाते हुए गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।
4	अक्तूबर 2008 में केपीटी द्वारा ऑनबोर्ड लेबर के लिए प्रस्तावित समेकित दरें जून 2008 में पहले प्रस्तावित दरों से थोड़ी भिन्न हैं। उदाहरणतः, ''उर्वरक'' – ''आयात बल्क'' घटक के लिए पीस दर के बिना और साथ प्रति टन दरें अक्तूबर 2008 के प्रस्ताव के अनुसार रु0 28.83 और रु0 21.07 हैं जबकि पहले प्रस्तावित तदनुरूपी दरें रु0 27.68 और रु0 20.23 हैं। केपीटी से अनुरोध है कि वह सूचीबद्ध सभी 57 मदों के मामले में दरें थोड़ी–थोड़ी भिन्न क्यों हैं।	2008 में प्रस्तावित समेकित दरें पूर्ववर्ती दरों से थोड़ी भिन्न हैं क्योंकि तटीय दरें प्रारंभ में प्रस्तावित नहीं की गई थीं। चूंकि अब तटीय दरें प्रस्तावित की गई हैं, उसकी लागत की वसूली के लिए, दरों की पुनः गणना की गई है और इसलिए वे थोड़ी भिन्न हैं।
5	औसत आउटपुट प्रति गैंग पारी 2006–07 के दौरान आपूर्ति किए गए तदनुरूपी गैंगों के साथ (आयात और निर्यात के लिए अलग–अलग) प्रहस्तित चिह्नित घटकों के टनभार को विभाजित करते हुए निर्धारित की गई है। हालांकि प्रहस्तित किया जाने वाला न्यूनतम आउटपुट औसत आउटपुट प्रति गैंग से ''पूर्णांकित'' करने का प्रस्ताव किया गया है, परन्तु हैवी लिफ्ट एम/सी (आयात पैक्ड) के मामले में न्यूनतम आउटपुट प्रस्तावित करते समय कुछ विपथन दिखाई देता है। कृपया उसके कारण स्पष्ट करें।	हैवी लिफ्ट एम/सी (आयात पैक्ड) के मामले में न्यूनतम आउटपुट परिगणित करने में ''पूर्णांकन'' त्रुटि है। इसे रु0 200.00 की बजाय रु0 190.00 माना जाए।

10.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई कांडला पत्तन में 8 अप्रैल 2010 को आयोजित की गई थी। केपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे।

10.2. चूंकि प्रासंगिक उपयोक्ता असोसिएशनों ने मांग की थी कि केपीटी को प्रस्तावित प्रति टन दरों और प्रशुल्क के भाग के रूप में निर्धारित की जाने वाली उत्पादकता शर्तों के बारे में विशेष रूप से उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, इसलिए पत्तन को लागत की तत्समय मौजूद स्तर और अगले तीन वर्षों में अनुमानित स्थिति के आधार पर अपना प्रस्ताव संशोधित करने की सलाह दी गई थी। पत्तन को अपना प्रस्ताव संशोधित करते समय पहले से अर्जित और अर्जित किए जाने की संभावना वाले उत्पादकता स्तर को ध्यान में रखते हुए लेखा में लेने की सलाह दी गई थी। इसके संशोधित प्रस्ताव के साथ, केपीटी को 24 जनवरी 2007 से (केडीएलबी के केपीटी में आमेलन की तारीख) वास्तविक लागत स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में विस्तृत लागत विवरण और अगले तीन वर्षों के अनुमान भेजने की सलाह दी गई थी। पत्तन को बाद में यह सलाह भी दी गई थी कि वह अपने संशोधित प्रस्ताव पर प्रासंगिक उपयोक्ता असोसिएशनों के साथ चर्चा करे और अधिमानतः परस्पर सहमत प्रस्ताव दाखिल करे।

11.1. कई अनुस्मारकों के बाद, केपीटी ने 2009–10 तक वास्तविक आंकड़ों और 2010–11 से आगे के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2007–08 से 2012–13 के लिए अपने कार्गो प्रहस्तन डिवीजन के लागत ब्योरे प्रस्तुत किए थे। इन ब्योरों के साथ केपीटी ने विभिन्न कार्गों के लिए प्रति टन दरें दर्शाने वाले गणना पत्रक और 7 जुलाई 2010 तथा 30 सितम्बर 2010 को उपयोक्ता संगठनों के साथ हुई उनकी दो बैठकों का सार भी प्रस्तुत किया गया था।

11.2. पत्र दिनांक 25 फरवरी 2011 द्वारा केपीटी से सुविचारित लागत तत्वों, कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की पूंजी परिसंपत्तियों के ब्योरे आदि पर स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। पत्र दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा केपीटी ने अपना जवाब भेजा था। मांगे गए ब्योरे और प्राप्त हुए जवाबों को नीचे सारबद्ध किया गया है:–

क्र.सं.	टीएएमपी द्वारा उठाए गए प्रश्न	केपीटी से जवाब
1	यह विदित है कि केपीटी के साथ केडीएलबी के आमेलन के बाद, केडीएलबी के लिए अलग से वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए हैं। कार्गो प्रहस्तन डिवीजन के लागत ब्योरों को सत्यापित करने के लिए, केपीटी से अनुरोध है कि आमेलन के समय तक कांडला पोर्ट लेबर बोर्ड से संबंधित वार्षिक लेखें और वर्ष 2007–08 से आगे के पत्तन के संशोधित बजट अनुमान/बजट अनुमान भेजें। प्रहस्तन डिवीजन की लागत पर पहुंचने के समय पत्तन ने उपदान, अशक्तता, पेंशन और प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों पर विचार किया था। आधार जिसपर ये लागतें निर्धारित की गई हैं, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ स्पष्ट करें। वसूल की जाने वाले सकल राजस्व पर पहुंचने के समय, केपीटी ने नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिशत की दर से आरओसीई पर भी विचार किया था। कृपया इस मामले में नियोजित पूंजी के ब्योरे प्रेषित करें।	2008–09 से 2011–12 के बजट अनुमान जिसमें कार्गो प्रहस्तन डिवीजन से संबंधित लेखांकन ब्योरे हैं, भेजे हैं। उपदान, अशक्तता और पेंशन की लागत के आधार के संबंध में यह बताया गया है कि यह वर्ष 2007–08 से 2009–10 की वास्तविक लागत है। कार्गो प्रहस्तन डिवीजन के कर्मचारियों/कामगारों के उपदान, अशक्तता और पेंशन के वास्तविक भुगतान के लिए पृथक रजिस्टर व्यवस्थित किए जा रहे हैं। प्रबंधन और सामान्य व्ययों को कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की परिचालन लागत के आधार पर प्रभाजित किया गया है। नियोजित पूंजी के ब्योरे भी भेजे गए हैं।
2	कार्य पत्रकों के अनुसार, लागत प्रति गैंग वर्ष 2007–08 से 2012–13 के लिए क्रमशः रु0 14704/–, रु0 19305/–, रु0 19117/–, रु0 20360/–, रु0 21520/– और रु0 22747/– निर्धारित की गई है। कार्य पत्रकों में, दर प्रति मी.ट. रु0 5/– और रु0 439/– के बीच घटकों की विभिन्न मदों के सामने दर्शाई गई है। कैसे ये विभिन्न घटकों की दरें निर्धारित की गई हैं और क्या ऐसी निर्धारित दरें राजस्व अपेक्षा को पूरा करेंगी जिसे कार्य पत्रकों में स्पष्ट नहीं किया गया है। केपीटी से अनुरोध है कि इस संबंध में पूरे ब्योरे भेजें।	लागत प्रति गैंग वर्ष के दौरान आपूर्तित कुल गैंगों द्वारा वसूल किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राजस्व से विभाजित करते हुए निर्धारित किया गया है।
3	केपीटी के पत्र दिनांक 24 अक्तूबर 2008 द्वारा पहले सुविचारित घटक केपीटी के पत्र दिनांक 11 अक्तूबर 2010 द्वारा सुविचारित घटकों से भिन्न हैं। केपीटी से अनुरोध है कि इसकी समीक्षा करें और सही विवरण प्रस्तुत करें।	यह सत्य है कि पहले सुविचारित घटक पत्र दिनांक 11 अक्तूबर 2010 द्वारा सुविचारित घटकों से भिन्न हैं। यह बदलाव घाटशुल्क के प्रयोजन के लिए कांडला पोर्ट के दरमान में यथा सुविचारित घटकों से मिलान के लिए किए गए हैं। पत्र दिनांक 11 अक्तूबर 2010 द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण को सही माना जाए।
4	यह देखा गया है कि 50 प्रतिशत छूट थोक नमक के प्रहस्तन के लिए सुविचारित की गई है। कृपया नमक पर 50 प्रतिशत छूट देने के निर्णय के ब्योरे भेजें।	थोक नमक के प्रहस्तन के लिए 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय ऑन–बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए प्रति टन दर के निर्धारण के संबंध में कांडला स्टीवडोर्स असोसिएशन लि0 और कांडला पोर्ट डॉक स्टीवडोर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ 07–09–2010 और 30–09–2010 को हुई बैठक में लिया गया था। उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त पत्र दिनांक 11–10–2010 द्वारा पहले ही भेजे गए हैं।
5	पत्र दिनांक 11 अक्तूबर 2010 के अधीन केपीटी द्वारा प्रेषित मसौदा दरमान में तटीय रियायत के बारे में नहीं दिया गया है। केपीटी से अनुरोध है कि दरमान का मसौदा पुनः तैयार करें।	विदेशी और तटीय दर पर विचार करते हुए संशोधित मसौदा दरमान प्रस्तुत किया गया है। विदेशी/तटीय दर 90 प्रतिशत कार्गो विदेशी और 10 प्रतिशत कार्गो तटीय कार्गो मानते हुए परिगणित की गई है।
7	केपीटी ने उपयोक्ता संगठनों के साथ 7 जुलाई 2010 और 30 सितम्बर 2010 को हुई बैठकों के	यह पुष्टि की गई है कि विवरण उपयोक्ता संगठनों के बीच परिचालित किए गए थे। 30–08–2010 को हुई बैठक के

	कार्यवृत्तों की प्रतियां भेजी हैं। 30 सितम्बर 2010 को हुई बैठक के कार्यवृत्तों से यह देखा गया है कि कांडला स्टीवडोर्स असोसिएशन और कांडला पोर्ट डॉक स्टीवडोर्स असोसिएशन पत्तन के प्रस्ताव से सहमत थे परन्तु समेकित दर निर्धारित करते समय मैनिंग मान का कार्यान्वयन, समयोपरि को रोकना और आरओसीई को अलग रखना होगा। इस संबंध में, केपीटी से अनुरोध है कि वह यह पुष्टि करे कि पत्र दिनांक 11 अक्तूबर 2010 द्वारा इस प्राधिकरण को भेजे गए विवरणों को उपयोक्ता संगठनों के बीच परिचालित किया गया था।	कार्यवृत्त के पहले पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि ''नमक के लिए प्रति टन प्रभार 50 प्रतिशत तक कम किया गया था और तदनुसार संशोधित विवरण नौभरिकों की असोसिएशन की स्वीकृति के लिए परिचालित किए गए थे ताकि उन्हें टीएएमपी को भेजा जा सके''।

12. इस मामले में विचार–विमर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारे वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

13. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई सूचना के आधार पर, उपयोक्ताओं से प्राप्त हुई टिप्पणियों और संयुक्त सुनवाई में हुई चर्चाओं से निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:

(i). केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2007 द्वारा कांडला डॉक लेबर बोर्ड को कांडला पत्तन न्यास में आमेलित किया था। केपीटी ने पंजीकृत कर्मचारियों के साथ 3 मार्च 2007 को एक बैठक की थी जिन्होंने एकमत से पत्तन के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के कामगारों द्वारा नौभरण गतिविधि के लिए ऑन–बोर्ड लेबर की तैनाती के लिए बिना पीस दर के रु0 850/– प्रति कामगार प्रति पारी और पीस दर के साथ रु0 1084/– प्रति कामगार प्रति पारी पर सहमति व्यक्त की थी।

(ii). चूंकि उपर्युक्त उप–पैरा (i) में उल्लिखित रु0 850/– और रु0 1084/– प्रति कामगार प्रति पारी की दर से वसूली की तदर्थ व्यवस्था इस प्राधिकरण के अंतिम अनुमोदन के अधीन है, इसलिए पत्तन को अंतिम दरों के निर्धारण के लिए अपना प्रस्तुत करने के लिए पत्र दिनांक 23 जुलाई 2007 द्वारा सलाह दी गई थी। तदनुसार, केपीटी ने पीस दर के साथ और बिना पीस दर के रु0 1440/– और रु0 1195/– की दर से लागत प्रति कामगार प्रति पारी दर्शाते हुए विवरण 14 नवम्बर 2007 को प्रस्तुत किया था। इन दरों पर पहुंचने के समय, पत्तन के अनुसार, इसने वर्ष 2006–07 के दौरान प्रोद्भूत वास्तविक लागत और उसमें संभावित मजदूरी संशोधन के लिए 15 प्रतिशत 1 जनवरी 2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा था।

(iii). यह देखा गया था कि डीएलबी द्वारा अनुसरित परम्परागत प्रणाली का अनुपालन करते हुए, केपीटी का दिनांक 14 नवम्बर 2007 का प्रस्ताव कल्याण, हाऊसिंग, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि जैसे अन्य उपरिव्ययों और नौभरिकों, जो प्रति कामगार प्रति पारी आधार पर ऑन बोर्ड नौभरण कार्यों के लिए कामगारों को बुक करते हैं, से अर्जित वास्तविक पीस दर, जहां कहीं लागू हो, के साथ कामगारों को भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी की वसूली के लिए था। तथापि, प्रति टन आधार पर लेबर की आपूर्ति के लिए प्रभारों की वसूली इस पद्धति के रूप में पहले ही स्वीकार की जा चुकी है, लागत की वसूली में बेहतर पारदर्शिता आएगी और लेखांकन आसान होगा। इसके अलावा, इस पद्धति को अंगीकृत करना उनके कार्गो को लाने–ले जाने की समग्र लागत के निर्धारण के लिए आयातकों/निर्यातकों के लिए आसानी होगी और जहां तक पत्तन का संबंध है इससे एक घटक द्वारा दूसरे घटक की प्रहस्तन लागत के प्रति–सहायिकी से बचा जा सकेगा। इसलिए, केपीटी ने पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2007 द्वारा प्रति टन आधार प्रस्तावित करने की संभावनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि बाद में पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्र सं. एलबी–13018/4/5–एल–2 दिनांक 24 जून 2009 द्वारा सभी महापत्तनों को नौभरण परिचालनों के लिए टनभार आधारि प्रभार अंगीकृत करने की सलाह दी गई थी।

(iv). केपीटी ने 6 जून 2008 को अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जहां ऑन–बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए घटकवार दरें प्रति टन प्रस्तावित की गई थीं। 2006–07 में प्राप्त की गई औसत घटक–वार आउटपुट प्रति गैंग के आधार पर, केपीटी ने 57 घटक समूहों के लिए प्रति टन दरों के अनुमोदन का प्रस्ताव किया था जिसमें पीस दर और बिना पीस दर शामिल थी। घटक–वार दरें प्रति टन प्रस्तावित करते समय, पत्तन ने चार विभिन्न समूहों अर्थात प्रति आयात बल्क, प्रति पैक्ड आयात, प्रति निर्यात बल्क और प्रति पैक्ड निर्यात के अधीन अर्जित की जाने वाली न्यूनतम आउटपुट प्रति गैंग का भी प्रस्ताव किया था। न्यूनतम आउटपुट प्रति गैंग पारी पत्तन द्वारा प्रस्तावित की गई थी क्योंकि इसके अनुसार औसत आउटपुट प्रति गैंग पारी घटक दर घटक भिन्न–भिन्न हैं और आयात तथा निर्यात के लिए अलग–अलग अर्जित किए जाने वाले घटक–वार न्यूनतम टनभार को बनाए रखने के लिए लागत को बांटना आवश्यक है।

(v) (क). केपीटी के साथ केडीएलबी के आमेलन से पहले ऑन–बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए वसूली घटक–वार, प्रति कामगार आधार (टिन्डल के लिए रु0 560, सिग्नलर के लिए रु0 474 और कैजुअल कामगार के लिए रु0 220)

और कल्याण लेवी के रूप में 20 प्रतिशत की आधार दर और सामान्य लेवी के रूप में आधार दर का 60 प्रतिशत। इसके अलावा, पीस दरें, यदि कोई हों, वास्तविकताओं के आधार पर वसूल की जाती थी।

(ख). तैनात किए गए प्रति गैंग प्रति हुक ऑन बोर्ड कामगारों में, प्रहस्तित कार्गो के प्रकार कोई भी हों, बल्क में नमक के निर्यात के सिवाय 12 व्यक्ति शामिल है जहां आरपी टिन्डल अथवा आरपी सिग्नलर के साथ चार कामगार प्रति हुक तैनात किए जाते हैं।

(ग). जैसाकि पहले बताया गया है, 22 मई 2007 से वसूल की जा रही अस्थाई दरें रु0 850/– प्रति कामगार प्रति पारी बिना पीस दर और रु0 1084/– प्रति कामगार प्रति पारी पीस दर के साथ हैं।

(घ). केपीटी के अनुसार, पीस दर के बिना और साथ क्रमशः रु0 850 और रु0 1084 की अस्थाई दरें आमेलन पूर्व दरों से काफी कम हैं और इसलिए संशोधन की आवश्यकता है।

(vi). 24 जनवरी 2007 को केपीटी के साथ डॉक लेबर बोर्ड के आमेलन के बाद पत्तन द्वारा अपने कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की आय, लागत तथा अधिशेष या घाटे को प्रकट करने के लिए अलग से लेखे व्यवस्थित नहीं किए गए हैं। इसलिए, केपीटी स्पष्ट रूप से यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कोई संचयित अधिशेष या घाटा ऑन–बोर्ड लेबर के लिए दर निर्धारित करते समय समायोजन के लिए उपलब्ध है। इसलिए, इस दर विश्लेषण में पूर्व कार्यनिष्पादन संबंधी कोई समायोजन नहीं किया जा सका।

(vii) (क). केपीटी से यह पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि क्या कोई शर्त विभिन्न घटकों और परिचालनों के मैनिंग मानों के संबंध में केडीएलबी के केपीटी के साथ आमेलन की योजना में दी गई है। केपीटी ने जबाब दिया है कि हालांकि केडीएलबी पंजीकृत पूल कामगारों और केपीटी के तट कामगारों की मौजूदा प्रणाली वैसी ही रहेगी जैसी आमेलन से पहले मौजूद थी, समेकित तैनाती प्रक्रिया राष्ट्रीय अधिकरण का निर्णय आने और मौजूदा योजना के प्रावधानों के अनुसार बाद में परिगणित की जाएगी। पत्तन ने यह भी सूचित किया है कि गैंग का गठन और संख्या सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की गई है और राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार मैनिंग प्रतिमानक अब तक कार्यान्वित किए जाते रहे हैं।

(ख). इस बारे में विशिष्ट प्रश्न किए जाने पर कि डैटम, जो पीस दर के भुगतान से संबंधित है, पिछली बार कब संशोधित किया गया था, केपीटी ने बताया है कि डैटम 1 सितम्बर 1979 अर्थात जब से पीस दर योजना के भुगतान के कार्यान्वयन की तारीख से संशोधित नहीं किया गया है। केपीटी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय अधिकरण निर्णय का कार्यान्वयन सरकार प्रतीक्षित है। 30 वर्षों से अधिक समय से डैटम को संशोधित नहीं करने और मैनिंग मानों पर अधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित नहीं करने के कारण संतोषजनक नहीं हैं। पत्तन को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

(viii) (क). संयुक्त सुनवाई के बाद, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा, अनुमानों के आधार पर वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक और वास्तविकताओं के आधार पर 2007–08 से 2009–10 से संबंधित लागत ब्योरे भेजे हैं। परन्तु, ऑन–बोर्ड लेबर के लिए प्रस्तावित समेकित दर पूरी तरह से वर्ष 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, इस समय केपीटी ने न तो प्रति गैंग पारी अर्जित किए जाने वाले किसी घटक वार न्यूनतम टनभार का प्रस्ताव किया है और न ही अलग से पीस दर की वसूली की है। इस संदर्भ में, केपीटी ने स्पष्ट किया है कि कांडला स्टीवडोर्स असोसिएशन और कांडला पोर्ट डॉक स्टीवडोर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ 30 सितम्बर 2010 को हुई बैठक में लागत विवरण, वार्षिक राजस्व अपेक्षा, प्रहस्तित कार्गो की मात्रा और वर्ष 2007–08 से 2012–13 के दौरान प्रहस्तित होने की संभावना, तैनात किए गए गैंगों की कुल संख्या, घटक वार गैंगशिफ्ट आउटपुट, नमक प्रहस्तन के लिए तैनात किए गए गैंगों की संख्या, बल्क में नमक प्रहस्तन करने में दी गई 50 प्रतिशत की रियायत आदि के ब्योरे वाले गणना पत्रक प्रतिभागियों के बीच परिचालित किए गए थे और बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, टीएएमपी का अनुमोदन न्यूनतम टनभार प्रति गैंग शिफ्ट और पीस दर के लिए बिना अतिरिक्त वसूली के उपलब्धि की शर्तों के बिना घटक वार प्रति टन आधार पर समेकित दर निर्धारित करने के लिए प्राप्त किया जाएगा। चूंकि इस मामले पर पत्तन द्वारा उपयोक्ता असोसिएशनों के साथ विस्तार से चर्चा की गई थी और वे परस्पर सहमत दर पर पहुंच गए थे जैसा पत्तन द्वारा पुष्टि की गई है, इसलिए यह प्राधिकरण वर्ष 2009–10 से संबंधित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर केपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को, समायोजनों के साथ, जहां कहीं जरूरी हो, अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रवृत्त है।

(ख). वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए अनुमान लगाने के समय, केपीटी ने पिछले वर्षों में, 3.48 प्रतिशत के स्वीकार्य वार्षिक वृद्धि स्तर के विपरीत, 5.8 प्रतिशत तक व्यय में वृद्धि की है। केपीटी ने 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर परस्पर सहमत दर उपयोक्ता संगठनों के साथ 30 सितम्बर 2010 को हुई बैठक की श्रृंखला में प्रस्तावित की है जिसका ब्योरा उपर्युक्त पैरा (क) में दिया गया है। इसके अलावा, यह प्राधिकरण उप–पैरा (xvii) में स्पष्ट किए गए कारणों से एक वर्ष की सीमित अवधि अर्थात 31 मार्च 2012 तक दरों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रवृत्त है। इन कारणों से, वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के लिए प्रेषित ब्योरे और वार्षिक

राजस्व अपेक्षा के संबंध में पत्तन द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति, प्रहस्तित किए जाने वाले कार्गो की मात्रा, तैनात किए जाने वाले गैंगों की संख्या, घटक–वार गैंग स्थानांरण आउटपुट आदि पर विस्तार से नहीं देखा गया है।

(ix). राजस्व अपेक्षा पर पहुंचने के समय, बल्क में नमक प्रहस्तन में 50 प्रतिशत की रियायत पर पत्तन द्वारा विचार किया गया है। 1 मार्च 2011 को हुई अधिकारी स्तरीय बैठक में, यह समझने के लिए दिय गया था कि रियायत पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमानित परिणाम योजना द्वारा भुगतान यथा निर्धारित विस्तारित की जा रही है। केपीटी का भी यह मत है कि चूंकि बल्क में नमक प्रहस्तन के लिए गैंग में चार कामगार हैं और एक टिन्डल या एक सिग्नलर, इसलिए दी जा रही 50 प्रतिशत की रियायत सही है। तथापि, अंगीकृत किए जा रहे नियोजित पूंजी पर लागत जमा प्रतिलाभ दृष्टिकोण को अंगीकृत किया जा रहा है, यह प्राधिकरण सभी अन्य घटकों के बराबर बल्क में नमक के प्रहस्तन के लिए दरें निर्धारित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। चूंकि निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं, इसलिए केपीटी यदि ऐसा चाहे तो, नमक के लिए निम्नतर दरें वसूल कर सकता है। इसलिए, प्रति टन दरें कुल राजस्व अपेक्षा और गैंगों की कुल तैनाती जिसमें नमके प्रहस्तन के ब्योरे शामिल हैं, के आधार पर निर्धारित की गई है।

(x). केपीटी ने वर्ष 2009–10 के लिए रु0 4.61 करोड़ पर कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के कामगारों को उपदान, संचार और पेंशन भुगतान पर विचार किया है। इन भुगतानों के ब्योरे पत्तन द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक लेखों में अलग–से उपलब्ध नहीं हैं। 1 मार्च 2011 को हुई अधिकारी स्तर की बैठक में, यह स्पष्ट किया गया था कि आमेलन से पहले केडीएलबी के पेंशन, अशक्तता और उपदान लेखे लेबर बोर्ड के सामान्य लेखों के हिस्से थे और आमेलन के बाद, कार्गो प्रहस्तन डिवीजन के कामगारों को ये भुगतान केपीटी के मान्यता प्राप्त पेंशन और उपदान भविष्य निधियों से पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि केपीटी के वार्षिक लेखों में कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के उपदान, पेंशन और अशक्तता भुगतान ब्योरों को शामिल नहीं किया गया है, परन्तु पत्तन ने पुष्टि की है कि ऐसे ब्योरे अलग–से व्यस्थित किए गए हैं और वे आंकड़े लागत विवरण में सही ढंग से सुविचारित किए गए हैं। दर संशोधन विश्लेषण पत्तन द्वारा दिए गए विवरण पर विश्वास करते हुए किया गया है।

(xi). लागत विवरण में, केपीटी ने वर्ष 2009–10 के लिए सीएचडी प्रभाग से संबंधित प्रबंधन और सामान्य प्रशासन व्ययों रु0 3.40 करोड़ पर विचार किया है। अधिकारी स्तरीय बैठक में, केपीटी ने स्पष्ट किया था कि पत्तन, जिसमें कांडला डिवीजन, वादिनार डिवीजन और कार्गो प्रहस्तन डिवीजन शामिल है के प्रबंधन और सामान्य व्यय और यह उपरिव्यय सीएचडी की परिचालन लागत और पतन की कुल परिचालन लागत के अनुपात में प्रभाजित किया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि मामला सं. टीएएमपी/61/2009–केपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011 में इस प्राधिकरण के आदेश द्वारा केपीटी के सामान्य दर संशोधन को अनुमोदन प्रदान करते समय, पत्तन के सम्पूर्ण प्रबंधन और सामान्य प्रशासन व्यय पत्तन की कार्गो संबंधित और पोत संबंधित सेवाओं के मामले में दरों पर निर्णय लेने के लिए सुविचारित किए गए हैं। उसके मद्देनजर, ऑन–बोर्ड लेबर की दर पर पहुंचने के लिए पत्तन द्वारा सुविचारित प्रबंधन और सामान्य प्रशासन व्ययों पर विचार नहीं किया गया है।

(xii). पत्तन ने पुष्टि की है कि 1 जनवरी 2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से भुगतान किए गए मजदूरी बक़ायों को ऑन–बोर्ड लेबर से संबंधित लागत विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

(xiii). केपीटी ने वर्ष 2009–10 के लिए रु0 45.64 लाख आरओसीई रूप में सुविचारित किया है। अनुरोध पर, सीएचडी से संबंधित परिसंपत्तियों की सूची केपीटी द्वारा भेजी गई है। परिसंपत्तियों में भूमि, कार्यालय भवन, आवासीय क्वार्टर और वाहन शामिल हैं। नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओई) निवल अचल परिसंपत्तियों (सीएचडी की सकल परिसंपत्ति घटाव संचयित मूल्यह्रास) के 16 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है।

(xiv). केपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अक्तूबर 2010 में सुविचारित घटक केपीटी के पत्र दिनांक 24 अक्तूबर 2008 द्वारा पहले सुविचारित घटकों से भिन्न हैं। इसे स्पष्ट करने के अनुरोध पर पत्तन ने सूचित किया है कि घटकों को अब पुनः समूहित और घाटशुल्क प्रभारों की वसूली के लिए अपने दरमान में निर्धारित घटकों के साथ टेन्डम में पुनः व्यवस्थित किया गया है। घाटशुल्क की वसूली के लिए निर्धारित घटकों के साथ टेन्डम में ऑन–बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर की वसूली के लिए घटकों का पुर्नसमूहन पत्तन द्वारा उठाया गया सकारात्मक कदम है।

(xv) (क). केपीटी द्वारा प्रेषित लागत ब्योरों के अनुसार, वर्ष 2009–10 के लिए कार्गो प्रहस्तन डिवीजन के वेतन और मजदूरी संबंधी व्यय, भंडार, कार्यालय प्रशासन व्यय, परिचालन और अनुरक्षण व्यय, चिकित्सा व्यय, मूल्यह्रास, उपदान संबंधी भुगतान, अशक्तता और पेंशन तथा प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन व्ययों का जोड़ रु0 43,77,75,950 है। उपर्युक्त पैरा (xi) में उल्लिखित प्रबंधन और सामान्य प्रशासन व्यय राशि रु0 3,40,00,000 के अलावा, कुल व्यय रु0 40,37,75,950 परिगणित होता है। रु0 2,85,90,658 की निवल अचल परिसंपत्तियों पर 16 प्रतिशत की दर से आरओसीई रु0 45,74,505 परिगणित होता है। इस प्रकार, वर्ष 2009–10 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता रु0 40,83,50,455 (रु0 40,37,75,950 जमा रु0 45,74,505) है। वर्ष 2009–10 के दौरान आपूर्ति किए गए कुल गैंग 23843 थे। इस प्रकार कुल राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग रु0 17127 (रु0 40,83,50,455 का 23,843 से विभाजन) परिगणित होती है। गणनाओं को विस्तार से दर्शाता लागत पत्रक अनुलग्नक–1 रूप में संलग्न किया गया है।

(ख). प्रति टन दर प्रति घटक पत्तन द्वारा घटक वार औसत गैंग पारी आउटपुट से राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग से विभाजित करते हुए निर्धारित किया गया है। कुल राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग रु0 17127 परिगणित होता है। ऑन–बोर्ड लेबरकी आपूर्ति के लिए प्रति टन घटक वार दर निर्धारित करते समय, 5 प्रतिशत की तदर्थ कटौती की गई है क्योंकि केपीटी को अभी डैटम संशोधित करना है और मैनिंग मान शामिल करने हैं। इसके अलावा, पत्तन को कुशलता में सुधार और लागतों में कमी के लिए भी कदम उठाने चाहिएं। इसके अलावा, अनुमोदित दरें जो भविष्य अवधि से लागू होंगी, पूर्व वास्तविक आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है और भविष्य वृद्धि को विधिवत् लेते हुए वास्तविक अनुमानों के आधार पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रति टन घटक वार दर पर पहुंचने के लिए राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग रु0 16271 पर परिगणित किया गया है।

(ग). बल्क कार्गो प्रहस्तन के लिए घटक वार प्रति टन दर दर्शाने वाला कार्य पत्रक अनुलग्नक– **II** रूप में संलग्न किया गया है। इसी तरह, ब्रेक बल्क कार्गो के प्रहस्तन के मामले में कार्य पत्रक अनुलग्नक– **III** रूप में संलग्न किय गया है। ये कार्य पत्रक 90 प्रतिशत कार्गो विदेशी और 10 प्रतिशत कार्गो तटीय रूप में सुविचारित करते हुए तैयार किया गया है, जैसा केपीटी द्वारा पुष्टि की गई है।

(xvi). केपीटी ने अपने संशोधित मसौदा दरमान को लौह अयस्क और ताप कोयला घटकों तक तटीय रियायत को विस्तारित किया है। 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.3 के अनुसार, यह जरूरी नहीं है कि तटीय रियायत को ताप कोयला और लौह अयस्क के लिए विस्तारित किया जाए। तदनुसार, केपीटी के दरमान में इन घटकों के लिए कोई तटीय रियायत नहीं दी गई है।

(xvii). परस्पर सहमत दर प्रति टन प्रति घटक केपीटी द्वारा केवल प्रहस्तित यातायात, विनियुक्त गैंग और वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त किए गए गैंग शिफ्ट आउटपुट के आधार पर प्रस्तावित की गई है। कांडला स्टीवडोर्स असोसिएशन ने 30 सितम्बर 2010 को हुई बैठक में प्रत्येक छह महीने में ऑन–बोर्ड लेबर के लिए दर की समीक्षा करने के लिए पत्तन से अनुरोध किया था और केपीटी ने यह कहते हुए मांग पर सहमति दी थी कि यदि लागत घटती है, दरें उपयुक्ततः कम की जाएंगी क्योंकि टीएएमपी द्वारा अनुमोदित दरें उच्चतर अधिकतम दरें होंगी। हालांकि दरों के लिए तीन वर्षों की वैधता अवधि के साथ सामान्यतः अनुमोदन प्रदान किया गया है, उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण एक वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2011–12 के लिए ऑन–बोर्ड लेबर हेतु दरें अनुमोदित करता है। केपीटी को सलाह दी जाती है कि वह 1 अप्रैल 2012 से लागू की जाने वाली दरों के लिए समीक्षित प्रस्ताव 31 दिसम्बर 2011 तक अवश्य प्रस्तुत कर दे।

(xviii). केपीटी को उत्पादकता स्तरों से जुड़ी कार्गो वार प्रति टन दरें प्रस्तावित करने के लिए पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2007 द्वारा अनुरोध किया गया था जो बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने पर नौभरिकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा और परिचालन की समग्र लागत को कम करेगा। हालांकि पत्तन ने कार्गो वार प्रति दरों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, परन्तु इसने उत्पादकता से जुड़ी दर प्रस्तावित करने का कोई प्रयास नहीं किया है। जैसाकि ज्ञात है, उत्पादकता कई कारकों जैसे पोतों के साथ ग्रैबों की उपलब्धता, ग्रैबों की लिफ्टिंग क्षमता, ग्रैबों का खराब होना, अन्य उपस्कर जैसे क्रेन, पक्षीय मौसमी स्थिति, अपर्याप्त कार्गो, उपयुक्त यार्ड और हैच योजना आदि पर निर्भर करती है। केपीटी को सलाह दी जाती है कि वह इन कारकों पर विचार करे और उत्पादकता स्तरों से संबंधित अपना अगला प्रस्ताव 31 दिसम्बर 2011 तक प्रस्तुत करे।

13 . परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण घटक वार प्रति टन आधार अपने कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की अन्य प्रभारों की वसूली के स्थान पर ऑन–बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर निर्धारित करने के लिए केपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करता है और इसे केपीटी के दरमान के अध्याय– III में खंड 3 रूप में शामिल करता है जोकि निम्नवत् हैः

कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की ऑन–बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर के लिए प्रभार

दर रु0 में प्रति मी.ट.

क्र.सं.	कार्गो मदें	बल्क		ब्रेक बल्क	
		विदेशी रु0	तटीय रु0	विदेशी रु0	तटीय रु0
1	उर्वरक / उर्वरक का कच्चा माल	13.96	8.37	42.92	25.75
2	चावल और अन्य खाद्यान्न	21.62	12.97	27.23	16.34
3	सीमेंट	-	-	21.05	12.63
4	स्टील कोइल्स और स्टील पाइप	-	-	17.55	10.53
5	टिम्बर और अन्य लट्ठे	-	-	38.64	23.18
6	सोडा एश	-	-	60.89	36.54

7	मशीनरी पैकेज और अन्य पैकेज	-	-	72.84	43.71
8	लौह अयस्क	11.14	11.14	-	-
9	लौह अयस्क के अलावा अयस्क	12.20	7.32	-	-
10	स्क्रेप	20.45	12.27	-	-
11	ऑयल एक्स्ट्रेक्शन्स	18.95	11.37	-	-
12	ताप कोयला	10.39	10.39	-	-
13	अन्य कोयला	9.11	5.46	-	-
14	नमक	11.12	6.67	32.59	19.55
15	चीनी	17.42	10.45	25.80	15.48
16	सभी अन्य अविनिर्दिष्ट सामान	10.85	6.51	36.26	21.75

14. यह प्राधिकरण तब तक ऑन–बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए बिना पीस दर के रु0 850 प्रति कामगार प्रति शिफ्ट और पीस दर के साथ रु0 1084 प्रति कामगार प्रति शिफ्ट की दर से 22 मई 2007 से केपीटी द्वारा प्रभारित की जा रही अस्थाई दरों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन भी प्रदान करता है जब तक नई दरें प्रभावी नहीं हो जाती हैं।

15. संशोधित दरें भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होंगी और 31 मार्च 2012 तक प्रभावी रहेंगी। प्रदान किया गया अनुमोदन उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसे विशिष्ट रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

अनुलग्नक - I

कार्गो प्रहस्तन डिवीजन के लिए लागत ब्योरे

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	कांडला द्वारा दिए गए आंकड़े	टीएएमपी द्वारा यथा संशोधित आंकड़े
1	**कुल व्यय**		
	वेतन और मजदूरी	353124503	353124503
	भंडार	2441	2441
	कार्यालय और प्रशासन व्यय	128310	128310
	परिचालन और अनुरक्षण व्यय	96737	96737
	चिकित्सा व्यय	3325314	3325314
	मूल्यह्रास	988412	988412
	उपदान	5310715	5310715
	पेंशन का कम्यूटेशन	1506465	1506465
	पेंशन	39293053	39293053
	प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय	34000000	0
	कुल	437775950	403775950
2	**नियोजित पूंजी**	28529875	28590658
3	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ**	4564780	4574505
4	**राजस्व अपेक्षा (1 + 3)**	**442340730**	**408350455**
5	आपूर्तित कुल गैंग	23843	23843
6	**अपेक्षित राजस्व प्रति गैंग (4 /5)**	**18552**	**17127**
7	लागत कटौती/उत्पाकदता सुधार/लेबर युक्तिगरण आदि संबंधी 5% (6 का 5%)	शून्य	856
8	प्रति घटक प्रति टन निर्धारित करने के लिए वांछित राजस्व प्रति गैंग (6 - 7)	शून्य	16271

कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की ऑन–बोर्ड लेबर के लिए बल्क कार्गो हेतु घटक वार प्रति टन दर

अनुलग्नक - II

विवरण	गैंगों की सं.	राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग (रु0)	प्रहस्तित मात्रा (मी.ट.)	गैंग शिफ्ट आउटपुट (मी.ट.)	दर प्रति मी.ट. (रु0)	विदेशी यातायात (90%)	तटीय यातायात (10%)	राजस्व अपेक्षा (रु0)	आनुपातिक विदेशी यातायात	विदेशी कार्गो हेतु दर (रु0)	तटीय कार्गो हेतु दर (रु0)
उर्वरक/उर्वरक कच्चा माल	4675	16271	5676978	1214	13.40	5109280	567698	76066925	5449899	13.96	8.37
चावल और अन्य खाद्यान्न	34	16271	26652	784	20.75	23987	2665	553214	25586	21.62	12.97
लौह अयस्क	581	16271	849101	1461	11.14					11.14	11.14
लौह अयस्क के अलावा अयस्क	299	16271	415454	1389	11.71	373909	41545	4865029	398836	12.20	7.32
स्क्रेप	609	16271	504784	829	19.63	454306	50478	9909039	484593	20.45	12.27
ऑयल एक्स्ट्रक्शन्स	2019	16271	1805659	894	18.20	1625093	180566	32851149	1733433	18.95	11.37
ताप कोयला	1466	16271	2295596	1566	10.39					10.39	10.39
अन्य कोयला	499	16271	928651	1861	8.74	835786	92865	8119229	891505	9.11	5.46
नमक	1350	16271	2056938	1524	10.68	1851244	205694	21965850	1974660	11.12	6.67
चीनी	1390	16271	1352120	973	16.72	1216908	135212	22616690	1298035	17.42	10.45
सभी अन्य अविनिर्दिष्ट सामान	312	16271	487449	1562	10.42	438704	48745	5076552	467951	10.85	6.51

कार्गो प्रहस्तन डिवीजन की ऑन–बोर्ड लेबर के लिए ब्रेक बल्क कार्गो हेतु घटक वार प्रति टन दर **अनुलग्नक - III**

विवरण	गैंगों की सं.	राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग (रु0)	प्रहस्तित मात्रा (मी.ट.)	गैंग शिफ्ट आउटपुट (मी.ट.)	दर प्रति मी. ट. (रु0)	विदेशी यातायात (90%)	तटीय यातायात (10%)	राजस्व अपेक्षा (रु0)	आनुपातिक विदेशी यातायात	विदेशी कार्गो हेतु दर (रु0)	तटीय कार्गो हेतु दर (रु0)
उर्वरक/उर्वरक कच्चा माल	131	16271	51736	395	41.19	46562	5174	2131501	49666.56	42.92	25.75
चावल और अन्य खाद्यान्न	972	16271	604953	622	26.16	544458	60495	15815412	580754.88	27.23	16.34
सीमेंट	240	16271	193257	805	20.21	173931	19326	3905040	185526.72	21.05	12.63
स्टील कोइल्स और स्टील पाइप	1434	16271	1385076	966	16.84	1246568	138508	23332614	1329672.96	17.55	10.53
टिम्बर और अन्य लट्ठे	6629	16271	2907962	439	37.06	2617166	290796	107860459	2791643.52	38.64	23.18
नमक	43	16271	22363	520	31.29	20127	2236	699653	21468.48	32.59	19.55
चीनी	333	16271	218740	657	24.77	196866	21874	5418243	209990.4	25.80	15.48
सोडा एश	54	16271	15030	278	58.53	13527	1503	878634	14428.8	60.89	36.54
मशीनरी पैकेज और अन्य पैकेज	260	16271	60495	233	69.83	54446	6050	4230460	58075.2	72.84	43.71
सभी अन्य अविनिर्दिष्ट सामान	513	16271	239816	467	34.84	215834	23982	8347023	230223.36	36.26	21.75